



Neutral Citation No. - 2026:AHC:63484

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या -
2673/2026

पवन कुमार सहानी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अभिषेक

विपक्षी के अधिवक्ता: आकाश त्यागी, शासकीय अधिवक्ता, नेहा त्यागी

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आकाश त्यागी एवं राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 937/2025, धारा 69 बी.एन.एस., थाना कंकरखड़ा, जिला मेरठ के अंतर्गत, विचारण के लंबित रहने तक उसे अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में किए गए कथन धारा 69 बी.एन.एस. के तहत अपराध का गठन नहीं करते हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक लगभग 21 वर्ष का एक युवा है और धारा 180 एवं 183 बी.एन.एस.एस. के तहत पीड़िता के बयानों के अनुसार, आवेदक और पीड़िता संबंध में थे, जो इंस्टाग्राम पर शुरू हुआ था। आवेदक पीड़िता का रिश्तेदार भी है, वह पीड़िता की बहन का चचेरा देवर है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि धारा 180 और 183 बी.एन.एस.एस. (दं.प्र.सं.) के तहत बयान, प्रत्यक्ष रूप से धारा 69 बी.एन.एस. के तहत अपराध नहीं बनाते हैं।
4. दूसरी ओर, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक ने विवाह के झूठे वादे पर पीड़िता को शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया। उनका तर्क है कि अब आवेदक ने पीड़िता से विवाह करने से इनकार कर दिया है और यह स्पष्ट रूप से धारा 69 बी.एन.एस. के तहत अपराध बनाता है।
5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए तर्कों का समर्थन किया है।
6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से, प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि विवाह का कोई झूठा वादा नहीं था। धारा 180 और 183 बी.एन.एस.एस. के तहत पीड़िता के बयान इंगित करते हैं कि पीड़िता और आवेदक इंस्टाग्राम पर मित्र बने थे और पीड़िता को भी आवेदक से प्रेम हो गया था। यद्यपि विवाह के वादे के संबंध में एक बयान है, हालांकि, दोनों बयानों में यह नहीं कहा गया है कि विवाह का वादा झूठा था या शारीरिक संबंध ऐसे झूठे विवाह के वादे पर प्रेरित किए गए थे। धारा 180 और 183 बी.एन.एस.एस. के तहत बयानों को नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"बयान वादिया/पीड़िता अन्तर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 937/2025 धारा 69 बी.एन.एस. थाना कंकरखेड़ा मेरठ ने पूछने पर बताया कि— 'मेरा नाम xxxxx है। मेरे पिता का नाम श्री xxxxx है। मैं xxxxx की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 19 वर्ष है। मैं बी.ए. फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरी दीदी के देवर ने इंस्टाग्राम पर बात की थी। मैं उससे मिली भी थी, उससे फिजिकल हुई और उसके थोड़े दिन बाद ही उसने मना कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, मेरे से कोई संपर्क (contact) मत करना। यही मेरा बयान है।' प्रश्न 1): क्या नाम है लड़के का व कहाँ का रहने वाला है? उत्तर: पवन साहनी, लखनऊ का रहने वाला है। उसकी उम्र 21 वर्ष है। प्रश्न 2): तुम क्या चाहती हो? उत्तर: पवन से शादी करना। पीड़िता द्वारा जो भी कहा गया, मुझे महिला उप-निरीक्षक द्वारा शब्द-दर-शब्द लिखा गया जिसे पीड़िता को पढ़कर सुनाया गया। हस्ताक्षर अंग्रेजी अपठित 23/12/2025 साक्षी दाहिया (म०उ०नि०) थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ।

अवलोकन बयान धारा 183 बी.एन.एस.एस. पीड़िता xxxxx उम्र 19 वर्ष (बताने पर) ने सशपथ बयान किया कि— 'मेरी दिसंबर 2024 में इंस्टाग्राम पर पवन कुमार साहनी से बातचीत हुई थी, वह मेरी दीदी का चचेरा देवर है। हमारी बातचीत हुई तो पवन ने कहा कि वह मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। मैं भी उसे प्यार करने लगी। फिर मार्च 2025 को पवन मेरठ आया और मुझे मरीना होटल मेरठ में ले गया, वहां पर मेरे साथ सेक्स किया और बोला मैं तुझसे शादी करूंगा। हमारी बातचीत होती रही। दूसरी बार वह मुझे जून 2025 में मिला फिर मुझे मदीना होटल ले गया, मेरे साथ सेक्स किया। 22 जुलाई को उसने मुझसे बात करना बंद कर दी। जब बात परिवार वालों को पता चली तो मेरे परिवार वालों ने उसके घर में बात की। पवन के घर वालों ने और पवन ने शादी करने से इनकार कर दिया। जब मैंने केस किया तो फिर उन लोगों ने मुलह करके शादी करने की बात कही, लेकिन शादी नहीं की और चले गए। यही मेरा बयान है मुझे और कुछ नहीं कहना है।"

(पीड़िता की पहचान छिपाने के लिए बयान के कुछ हिस्सों को संपादित किया गया है)।

8. न्यायालय की राय में, पीड़िता के बयान धारा 69 बी.एन.एस. के तहत मामला नहीं बनाते हैं। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है और वह लगभग 21 वर्ष का युवा है।
9. ऊपर चर्चा किए गए सभी तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत देना उचित समझता हूँ।
10. आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
11. आवेदक- पवन कुमार सहानी की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपरोक्त मुकदमा अपराध में एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय के संतोषानुसार प्रस्तुत करने पर तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-
- आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
 - आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे;

iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं;

12. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दी गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निपटारे के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

26 मार्च, 2026

ए. पाण्डेय

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"